सखी केंद्र फिजिकली चौलेंज्ड महिलाओं के लिए एक शश्क्त स्तम्भ

ई–बुक

आई.पी.पी.एल. – ग्रीन पार्क, कानपुर सखी केंद्र द्वारा आयोजित

71 एच. आई. जी., के0 डी0 ए0 कालोनी, ई–ब्लाक, श्याम नगर कानपुर – 208013

ई मेल – sakhikendra61@gmail.com, मो0 - 9336115763

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक जहाँ विश्व की 15 प्रतिशत आबादी किसी–न–किसी रूप में विकलांगता से पीड़ित है वहीं भारत की महज 2.21 प्रतिशत आबादी ही विकलांगता से पीड़ित है। आँकड़ों की ये विसंगति विकलांगता के लिये तय मानकों में भिन्नता के कारण है।

1981 की जनगणना में 3 तरह की, 2001 में 5 तरह की और 2011 में 8 तरह की निर्योग्यताओं को विकलांगता का आधार माना गया। दिव्यांग जनों के अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2016 में दिव्यांग श्रेणियों को बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, एसिड अटैक से पीड़ितों को भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्योग्यता की एक श्रेणी में रखने का आदेश दिया है। विकलांगता श्रेणी हेतु निर्योग्यताओं की संख्या बढ़ाने का उद्देश्य 'विकलांग जनों के लिये राष्ट्रीय नीति' एवं 'विकलांग जन अधिनियम, 1995' के मध्य सामंजस्य बढ़ाना था

निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक, 2014 में दिव्यांगों की श्रेणियाँ 7 ही थीं।

हालांकि संविधान का अनुच्छेद 41 निःशक्तजनों को लोक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था करता है। इसी प्रकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का उद्देश्य भी एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहाँ विभिन्न पिछड़े एवं कमजोर तबकों के साथ–साथ विकलांग जनों को एक सुरक्षित सम्मानित और समृद्ध जीवन सुलभ कराया जा सके।

सरकार विकलांग जनों को स्तरीय, टिकाऊ तथा वैज्ञानिक तरीकों से निर्मित आधुनिक यंत्रें एवं उपकरणों की खरीद के लिये सहायता भी देती रही है। विकलांग जन अधिनियम, 1995 के अनुच्छेद–26 के तहत विकलांग बच्चों को 18 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

लेकिन जमीनी स्तर पर स्थितियां अलग हैं शिक्षा के लिए बहुत सारे व्यवधान और चुनौतियां हैं दूसरी तरफ जो मुफ्त उपकरण दिए जाते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है और कृत्रिम अंगों के लिए बहुत बड़ी लाइन एवं सोर्स की जरूरत होती है
साथ में इतना ज्यादा दौड़ना पड़ता है आर्थिक शारीरिक और मानसिक रूप से इन के लिए अफॉर्डेबल नहीं होता है। साल 2013 के बाद से भारत ने यौन हिंसा पर महत्वपूर्ण क़ानूनी सुधार किए हैं, लेकिन विकलांग महिलाओं और लड़कियों की अभी भी न्याय तक समान पहुँच नहीं बन पाई है

सखी केंद्र पूरी शिद्दत से प्रयास करता है कि यदि गरीब विकलांग बालिकाओं, महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न जुल्म हिंसा हो रहां है तो उन्हें न्याय दिलाना ही है लेकिन यह बहुत चुनौतीपूर्ण होता है।

एक तो अगर परिवार के ही कोई सदस्य इनके साथ शारीरिक मानसिक या योनिक अत्याचार कर रहा है। जिस पर इनकी निरर्भरता है तो अत्याचार सहना इनकी नियति बन जाती है उसके खिलाफ जाकर न्याय पाना यह वे स्वप्न में भी नहीं सोच सकती सखी केंद्र की सशक्त बहनों की बात मान भी लेती है बहुत ही जल्द इन्हें तमाम कारणों से फिर वापस आ जाना पड़ता है और यदि बाहरी किसी व्यक्ति ने इनके साथ शारीरिक मानसिक या यौनिक हिंसा की होती है तब तो भूख गरीबी और न्याय की जंग में भूख की जंग जीत जाती है और न्याय इन्हें अपनी पहुंच से बहुत दूर काल्पनिक दिखता है

पहले तो घर के ही लोग ही तैयार नहीं होते पुलिस स्टेशन में जाकर एफ आई आर दर्ज कराने के लिए यदि तैयार भी हो गए तो **FIR** लिखना, जांच और फिर पूरी प्रक्रिया के बाद न्याय की प्रक्रिया से जुड़ना यह भी इनके लिए असंभव रहता है लेकिन सखी केंद्र पूरी शिद्दत से उस असंभव प्रक्रिया को संभव बनाने की और प्रक्रिया में इनकी एक मजबूत साथी बनने की कोशिश करता रहता है हर साल दो दर्जन से ज्यादा के सिर्फ हमारे पास ऐसे आते हैं जो पति, घरवालों की मारपीट , उनके ऊपर जो भी उत्पीड़न ,हिंसा हुई है उसकी वजह से उनके अंदर विकलांगता आ जाती है लगभग 3 दर्जन के विकलांग महिलाओं के साथ उत्पीड़न हिंसा के भी आ जाते हैं

हम लोगों ने अक्सर देखा है कि पति यदि विकलांग हो तो पत्नी उसकी हर प्रकार से सेवा और देखभाल करती है। पत्नी के विकलांग होने पर पति एवं सुसराल वालों का रवैया बिल्कुल बदल जाता है। बहुत कम ही पति ऐसे होते हैं जो पत्नी का साथ देते हैं। पति चाहे विकलांग ही क्यों न हो पुरुष होने का श्रेष्ठता के भाव से ग्रसित रहता है और पत्नी पर धौंस जमाना अपना अधिकार समझता है।

विकलांग स्त्रियों को प्रायरू यौन शोषण का शिकार होना पड़ता है। 'बौद्धिक विकलांगता की शिकार 25 प्रतिशत महिलाओं को बलात्कार जैसी हिंसा झेलनी पड़ती है। विकलांग स्त्री को उसके परिवार घोर उपेक्षा और अनादर झेलना पड़ता है। परिवार का मुखिया, उसका रक्षक ही कई बार उसे अपनी हवस का शिकार बनाने से नहीं हिचकता।

कई बार विकलांग युवती स्वयं भी अपने शोषण को समझ नहीं पाती । हर युवती की इच्छा किसी से प्यार पाने की होती है। विकलांग व्यक्ति में अपनी विकलांगता को लेकर कई बार एक प्रकार की कुंठा होती है कि क्या वह किसी का प्यार पाने के लायक है भी या नहीं? ऐसी मनोदसा में किसी की झूठी सहानुभूति या प्यार पाकर आसानी से उसके शोषण के गिरफ्त में फंस जाती है।

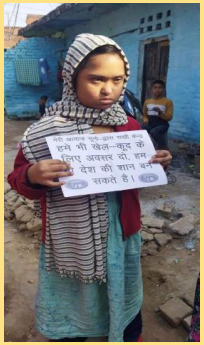

भारतीय पितृसतात्मक समाज में लड़कियों को वैसे ही बोझ माना जाता है। उन पर खर्च करना लोगों को व्यर्थ लगता है क्योंकि उन्हें आगे दहेज देने की भी चिन्ता होती है। इस पर भी यदि लड़की नेत्रहीन हो या किसी भी तरह की विकलांगता है तो मां–बाप के दुःखों की सीमा नहीं रह जाती। वे उसकी मृत्यु तक की कामना करने से नहीं हिचकते। ऐसे में अपने सामान्य बच्चों की तुलना में विकलांग बच्चों के साथ माता–पिता का व्यवहार भी भेदभावपूर्ण हो जाता है। यूं तो भारत देश में पीड़ित यदि गरीब महिला है तो उसके लिए न्याय की पहुंच एक बड़ी चुनौती है और अगर वह विकलांग महिला भी है तब तो उसके लिए हर पग पग में बहुत बड़ी चुनौतियों के साथ साथ न्याय अफॉर्डेबल ही नहीं होता है सखी केंद्र द्वारा बार–बार उन्हें हिम्मत दिलाई है कि हम आपके साथ पूरी तरह से हैं फिर भी काफी लोग बीच से ही वापस हो लेते हैं

पिछले 39 वर्षों से फिजिकली चौलेंज्ड बच्चों की शिक्षा उनकी बेहतर स्वास्थ्य एवं विकास के लिए लगातार जागरूकता ,फिजिकली चौलेंज्ड बालिकाओं महिलाओं एवं वृद्धों के लिए समाज को संवेदनशील करने और उन्हें एलिम्को व विकलांग बोर्ड द्वारा कृत्रिम अंग व इक्विपमेंट दिलाने उनके जीविकोपार्जन के लिए पूरी शिद्दत व समर्पण के साथ कार्य करता रहा है हर 1 साल में डेढ़ सौ से 200 लोगों को इक्विपमेंट दिलाता आ रहा है कोविड–19 की महामारी के दौरान इनकी समस्या बहुत ही बदतर हो गई थी खास तौर पर बालिकाओं और महिलाओं और वृद्धों की हमारी टीम ने इस दौरान खास तौर पर उनके भोजन का इंतजाम हो सके यह खास ध्यान रखा साथ ही 100 से अधिक फिजिकली चौलेंज्ड महिलाओं के अकाउंट में 5000 से ₹1000 ट्रांसफर किए गए जिससे बहुत सारी महिलाओं ने अपने भोजन और दवा के साथ जीविकोपार्जन भी शुरू किया। कुछ बहनों की स्थिति इतनी बदतर हो गई थी कि सखी केंद्र द्वारा दिलाई गई ट्राई साइकिल बेचने की नौबत आ गई थी।

बहुत–बहुत शुक्रिया हम करना चाहेंगे क्रिश्चियन एड यूके और मिजरोर के मित्रों का जिनकी मदद से हम लोग इनकी सहायता कर सकें और फिर कुछ बहनों ने तो अपनी ट्राई साइकिल को ही अपनी चलती फिरती दुकान बना लिया और फिर से जिंदा रहने का जुगाड़ कर लिया।

सखी केंद्र में अब तक लगभग 41000 से अधिक महिलाओं की समस्याएं उनके ऊपर हो रहे जुल्म उत्पीड़न और हिंसा से पीड़ित महिलाओं की समस्याएं देख चुका है जिनमें से 22500 मामले हल हो चुके हैं

इनमें से लगभग 3500 मामले फिजिकली चौलेंज्ड महिलाओं के घर समाज कार्य स्थल में प्रताड़ना भेदभाव छेड़छाड़ यौन अपराध बलात्कार के मामले सुलझाए गए ,कानूनी प्रक्रिया से जोड़े गए वह उन्हें न्याय दिलाने में मदद की गई इनकी बेहतरी के लिए।

INDIAN PREMIER PARA LEAGUE

सखी केंद्र ने बहुत सारे कार्यक्रमों के साथ–साथ फिजिकली चौलेंज्ड महिलाओं की तमाम स्थानीय प्रादेशिक सेमिनार वर्कशॉप के साथ–साथ राष्ट्रीय कार्यशालाए भी आयोजित की एवं राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की स्टेडियम ग्रीन पार्क में, देश में पहली बार फिजिकली चौलेंज्ड महिलाओं का क्रिकेट मैच कराया गयाआईपीएल क्रिकेट का मैच मुख्य तौर पर चर्चित रहा इसमें 120 प्लेयर्स थे उनमें से 46 महिला प्लेयर्स थी जो पहली बार अपने जिले और अपने प्रदेश से निकलकर यहां खेलने आई थी यह उनकी जिंदगी में एक बेहतर शुरुआत की जो कुछ को फिर तमाम और कई तरह के खेलो मैं राष्ट्रीय के साथ–साथ साउथ एशिया के खेलों में भागीदारी की । हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम इन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ सकें और इनकी बेहतरी के लिए संबंधित विभागों जिला प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर इनके लिए लगातार एडवोकेसी लॉबिंग करते रहते है।

भारतीय कानून और नीतियों के मुताबिक राज्य सरकारों को मुआवज़ा देना है, इनमें वे मामले भी शामिल हैं जिनमें अपराधी का पता नहीं लगाया जा सकता या उसकी पहचान नहीं की जा सकती. हमने अब तक लगातार पाया है। बर्बर हिंसा, सदमा और आर्थिक कठिनाई सहित उन मामलों में भी विकलांग महिलाओं और लड़कियों को मुआवज़ा हासिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

हूमन राइट्स वॉच के अनुसार "भारत ने विकलांग महिलाओं और लड़कियों को शामिल करने के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन हमारा नया शोध कार्रवाई और क्रियान्वयन की आवश्यकता को दर्शाता है. सरकार को समायोजन और अन्य उपायों को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए ताकि विकलांग महिलाओं और लड़कियों को सचमुच में न्याय मुहय्या किया जा सके। विकलांगों के लिए राष्ट्रीय नीति दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017को बेहतर तरह से लागू किया जाए।

• समाज के असहाय, सुविधाविहीन एवं कमजोर वित्तीय स्थिति वाले दिव्यांगजनों के सर्वांगीण विकास एवं उनके लाभ तथा सहायता के लिए बनाई गयी योजनाओं के सुचारू संचालन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा 20 सितम्बर, 1995 को दिव्यान्गजन सशक्तिकरण विभाग का गठन किया गया। को बेहतर तरह से लागू किया जाए

• गुणवत्तापूर्ण इक्विपमेंट दिए जाएं जो गरीब हैं और सबसे ज्यादा जिन्हें जरूरत है उन्हें कृत्रिम अंग पहले दिए जाएं

• फिजिकली चौलेंज्ड महिलाओं के लिए जो योजनाएं हैं जो नीतियां हैं (इनमें उनके लिए शिक्षा, स्पोर्ट्स ,हर जगह सुविधाएं, जरूरत, गुणवत्तापूर्ण इक्विपमेंट, बेहतर कृत्रिम अंग, आश्रय आदि बहुत ही जरूरी सुविधाओं का प्रावधान है लेकिन वह सभी जरूरतमंद तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है (और जरूरतमंद बहुत बदतर स्थितियों में रह रहे हैं कभी–कभी लगता है इनके लिए कोई कानून कोई नीतियां योजना कुछ भी नहीं है) उनका प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जाए)

हम लोगों ने अब तक 22 केस एसिड थ्रोइंग के देखे हैं लेकिन सिर्फ एक को ही अब तक न्याय दिला पाए हैं और वह है सबीना बाकी लोग कभी बीच में ही तो कभी न्यायिक प्रक्रिया में बहुत अधिक नजदीक पहुंचकर वापस हो गए

EXPERIENCES OF SURVIVORS

सोनी आज से 7 साल पहले सखी केंद्र में आई थी तब उसकी शिकायत थी कि उसके मां–बाप भाई–बहन उसके साथ बहुत भेदभाव पूर्ण व्यवहार करते हैं, घर का सारा काम यह करती थी फिर भी भाई मारता था , अक्सर घर के बाहर निकाल देता था। संस्था में इसकी मां बाप को बुलाकर बातचीत की गई और इसको दोबारा इसके घर में रखवाया गया। इसे ट्राई साइकिल दिलवाई गई और फिर लगातार काउंसलिंग चलती रही, शादी के लिए इनका रजिस्ट्रेशन कराया गया था तो 4 साल पहले एक प्रस्ताव आया वह भी 45% विकलांग था लेकिन पढ़ा–लिखा टीचर फिर उसके बाद इसकी शादी हो गई। अब यह किराए पर रहती है दूसरों की भी समस्याए सस्थां लेकर आती है। कोविड–19 की महामारी के दौरान लॉकडाउन में इन लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गए घर में बिल्कुल खाने को नहीं था और बीमार भी हो गए तब सखी केन्द्र के अकाउंट में ₹5000 दो बार डाली जिससे इन्होंने अपनी दवा खाने के साथ–साथ दोनों की ट्राई साइकिललो में इतना सामान कुरकुरे, बिस्किट, टॉफी रख लिया। यह बहुत सा खुश थी क्योंकि उसने बताया कि हम दोनों लोग मिलाकर 400 से 500 रोज कमा लेते हैं। इन दोनों ने अपनी ट्राई साइकिल को ही दुकान बना लिया, सोनी अब खुद सशक्त है और दूसरों की भी मदद करती है, अगर किसी की ज्यादा समस्या है तो वह सखी केंद्र लेकर उनको आती है।

अनीशा और उसका पति दोनों ही विकलांग है, लेकिन पति ने अनीशा को बहुत प्रताड़ित किया और अपने घर से निकाल दिया था, दोनों के बीच काउंसलिंग के साथ–साथ अनीशा का जीविकोपार्जन के बारे में ट्रेनिंग दी गई, उसे एक सिलाई मशीन दी गई और उसे छोटे–छोटे काम दिलाए गए। करीब 1 साल लग गए फिर उसके पति के साथ समझौता हो गया और अब पहले वाली अनीशा नहीं रह गई जो जुल्म सहती। फिर दोनों पति पत्नी को ट्राई साइकिल दिलवाई गई दोनों खुश है। लेकिन कोविड–19 की महामारी के दौरान उनके घर खाना दवाई सभी की बहुत बड़ी किल्लत हो गई, उन्हें लगा कि उनकी ट्राई साइकिल बेचनी पड़ेगी। लेकिन सखी केंद्र के द्वारा उन्हें ₹5000 उनके अकाउंट में डाले गए, जिससे उन्हो ंने ट्राई साइकिल को उसकी दुकान बना लिया अभी दोनों लोग खुश है। अनीशा अब पहले से सशक्त हो गई है एडवांस हो गई है वह खुद भी दूसरों को सलाह देती रहती है।

मंजू 5 वर्ष पूर्व सखी केंद्र में पति द्वारा बुरी तरह से की जा रही प्रताड़ना के विरुद्ध आई थी, इसे पति बुरी तरह से मारता था, यह घर में गिर गई इसकी रीड की हड्डी में चोट आ गई उसने इलाज नहीं कराया, घाव में चुना हल्दी भर देता था। धीरे–धीरे घाव व लगे, फिर उसने घर से निकाल दिया। सखी केंद्र के द्वारा बहुत काउंसलिंग के बाद इस केस को कोर्ट में दे दिया तब से यह केस कोर्ट में चल रहा है, इसकी बहने हैं लेकिन इसे कोई भी रखने को तैयार नहीं है, एक बहन ने अपने पास रखा है। उसका पति भी बहुत शराब पीता है और आए दिन इसको बाहर निकालता है, इसका बहुत इलाज किया जा चुका है, कई लोगों ने इसके इलाज के लिए पैसा डोनेट किया है। लेकिन डॉक्टर का कहना है कि अब इसका कोई इलाज नहीं है बस एंटीबायोटिक दी जाती है और दर्द की गोलियां। यह अपने आप बैठ भी नहीं पाती है और घर मैं घिसल घिसल कर चलती है, अब मंजू का कष्ट देखा नहीं जाता है, अब वह सिर्फ इच्छामृत्यु चाहती हैं। सखी केंद्र के थिंक टैंक एडवोकेट करीम सिद्दीकी जी ने सिफारिश भी की लेकिन वह स्वीकार नहीं की गई है। सखी केंद्र बहुत से उन मामलों को पूरे समर्पण भाव से देख रहा है जो विकलांग है या उन पर जुल्म और हिंसा ने उन्हें विकलांग बना दिया। यह लोग अगर टूटती है तो सिर्फ आर्थिक समस्याओं की वजह से।

सखी केन्द्र कि बहने हमेशा से यह वादा करती है कि “फिजिकली चौलेंज्ड लोगों खासतौर पर महिलाओं के सामने जितनी भी चुनौतियां हैं उन सब को गहराई से समझते हुए संबंधित सभी विभागों के साथ उनकी वकालत करते हुए उनकी समस्याओं को दूर करने और उन्हें हर स्तर पर न्याय दिलाने की पूरी शिद्दत से प्रयास करती रहेंगी।”

Sakhi Kendra observed that women who are disabled and those who are made disable are often fighting a lost battle which is exacerbated by financial limitations and support from society.

Stereotyping, stigma, and discrimination are challenges people with disability face every day. Much of the disabled community faces exclusion from parts of society.

“Together with people with disabilities as agents of change, let’s build a world that is inclusive, accessible and sustainable.”

António Guterres Secretary-General of the UN.

NATIONAL WORKSHOP OF PHYSICALLY CHALLENGED IN KANPUR – ORGANIZED BY SAKHI KENDRA

Nupur Chauhan – State Coordinator at Sakhi Kendra, as a qualifying contestant on KBC.

From the cheque for 12 Lacs 50 thousand received by Mr. Bachchan, she was able to construct a house **for herself.**

“DIDI”

A Documentary Based on the Women who live for others

https://www.youtube.com/watch?v=LvkEIpiKTeA&t=3s

QUIET PANDEMONIUM

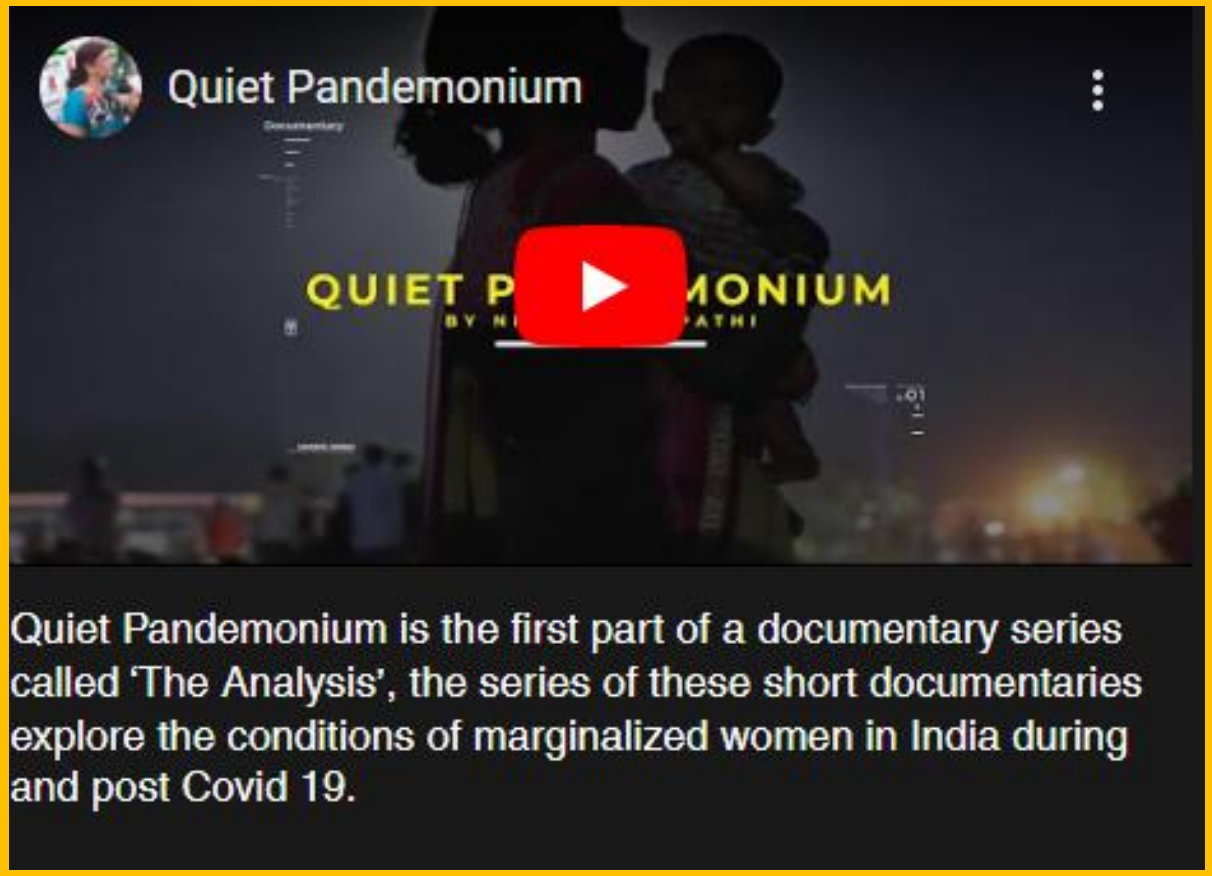

https://www.youtube.com/watch?v=apfGK1MvrzY

IPPL Kanpur - Green Park – Organised by Sakhi Kendra and ICFD

https://www.youtube.com/watch?v=OfHMNenzy4M

Sakhi Kendra's Work During COVID 19 Pandamic The Guardian

https://www.youtube.com/watch?v=6T0_gwDFCM8

Sakhi Kendra's Work During COVID 19 Pandemic Covered by The British Podcast

https://www.youtube.com/watch?v=A2T6ZM2cfsQ

CONNECT WITH US

- https://www.facebook.com/neelam.chaturvedi.146
- m.sakhikendra.com
- Contact No.
  - ✓ 9336115763
  - ✓ 7408114433
  - ✓ 6393696353

SHOW YOUR SUPPORT!

DONATE
and support
us TODAY!

-Account Name-

Sakhi Kendra

-Account Number-

17450100004701

-IFSC Code-

UCBA0001745

THANK
YOU